



सत्यमेव जयते

#### **INDIA NON JUDICIAL**

## **Government of Uttarakhand**

₹100

e-Stamp

**Certificate No.**

**Certificate Issued Date**

**Account Reference**

Unique Doc. Reference

Purchased by

### Description of Document

### Property Description

#### **Consideration**

## First Party

## Second Party

: IN-UK49009350378073V  
: 26-Apr-2023 05:11 PM  
: NONACC (SV)/ uk1203304/ DEHRADUN/ UK-DH  
: SUBIN-UKUK120330404118966121338V  
: NAVEEN GOYAL AND SHOBHIT GOYAL  
: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement  
: NA  
: 0  
: (Zero)  
: SACHIN GOYAL AND SMT SWATI GOYAL  
: NAVEEN GOYAL AND SHOBHIT GOYAL  
: NAVEEN GOYAL AND SHOBHIT GOYAL  
: 100  
: (One Hundred only)

सत्यमव जयते



**PRADEEP KUMAR**  
**STAMP VENDOR**  
**COURT DEHRADUN**

Please write or type below this line



Statutory Alert

- Statutory Alert:**

1 The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

2 The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

3 In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

## विक्रय अनुबंध पत्र

हम कि 1—श्री सचिन गोयल पुत्र श्री देशबन्धु गोयल एवं 2—श्रीमती स्वाती  
गोयल पत्नी श्री सचिन गोयल निवासीगण 7 पार्क रोड, लक्ष्मण चौक, जिला  
देहरादून। 1-Pan No. AFOPG1552L, 2-BGNPG5856N

— — — प्रथम पक्षगण

एवम्

1—श्री नवीन गोयल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल, 2—श्री शोभित गोयल पुत्र श्री  
नवीन गोयल निवासगण 4 मालवीय रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून।

— — — द्वितीय पक्षगण

विदित हो कि प्रथम पक्षगण निम्न वर्णित भूमि जिसका विवरण इस अनुबंध पत्र  
के अन्त में दिया गया है, के मालिक स्वामी काविज भूमिधर है, तथा प्रथम पक्षगण ने  
भूमि द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25-05-2021 जो कार्यालय सब रजिस्ट्रार  
चतुर्थ देहरादून में बही नं० 1, जिल्द 5637 के पृष्ठ 379 से 404, में दस्तावेज नंबर  
3440 में विधिवत रूप से दर्ज एवं पंजीकृत है, इसके पूर्व स्वामी श्रीमती कीर्ति देवी  
भट्ट पत्नी श्री गिरीश चन्द भट्ट निवासी 4/2 मालवीय रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून  
द्वारा मुख्यारेआम श्री ज्ञान चन्द गोयल पुत्र स्व० प्रहलाद स्वरूप गोयल निवासी  
13/11 महन्त रोड, देहरादून से क्रय की थी, तथा प्रथम पक्ष कागण नाम नगर निगम  
अभिलेखों में बतौर स्वामी दर्ज एवं अंकित चला आ रहा है, तथा सूची में वर्णित भूमि  
आज तक हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, विक्रय, क्रय, कुर्की, जमानत एवं विवादों  
आदि से पूर्ण रूप से मुक्त है, तथा प्रथम पक्षगण को निम्न वर्णित भूमि को हर प्रकार  
से अनुबंध, उपयोग, हस्तान्तरण आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

विदित हो कि वर्णित भूमि का एक संशोधन विलेख दिनांक 25-03-2023 जो  
कार्यालय सब रजिस्ट्रार चतुर्थ देहरादून में बही नं० 1 जिल्द 7165 के पृष्ठ 27 से 48  
में नंबर 3842 में विधिवत रूप से दर्ज एवं पंजीकृत है।



Surendra Singh Talyal

Notary  
Sugya

यह कि निम्न वर्णित भूमि को प्रथम पक्षगण विक्रय अनुबंध करना चाहते हैं तथा द्वितीय पक्षगण भी निम्न वर्णित भूमि को क्रय अनुबंध करना चाहते हैं, जिसकी बाबत पक्षकारों के मध्य निम्न शर्तें तय पायी गई हैं जिनको मानने के लिए पक्षकारों के हितप्रतिनिधि, उत्तराधिकारी आदि सभी बाध्य होंगे :-

अतः यह निम्न बात का साक्षी है :-

1. यह कि पक्षकारों की आपसी सहमति से निम्न वर्णित सम्पत्ति को क्रय-विक्रय करने की बातचीत आपस में तय हो गई है, तथा निम्न वर्णित भूमि का कुल सौदा मु0 43,50,000/- (तीनलाख पचास हजार रुपये) में तय हुआ था, जिसमें से प्रथम पक्षगण ने अग्रिम धनराशि के रूप में द्वितीय पक्षगण से मु0 11,00,000/- (ग्यारह लाख रुपये) निम्न प्रकार से प्राप्त कर लिये हैं:-  
 (अ) मु0 2,00,000/- रुपये पूर्व में नकद दिनांक 22-02-2023  
 (ब) मु0 8,00,000/- रुपये नकद भिन्न भिन्न तिथियों में  
 (स) मु0 1,00,000/- रुपये द्वारा चैक सं0 874637 पी0एन0वी0 शाखा हिन्दु नैशनल इण्टर कॉलेज देहरादून दिनांक 26-04-2023 जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृत प्रथम पक्षगण को सपक्ष गवाहान स्वीकार करते हैं, शेष धनराशि विक्रय पत्र के समय ली व दी जायेगी।
2. यह कि द्वितीय पक्षगण को अधिकार होगा कि इस अनुबन्धित भूमि का विक्रय पत्र अपने नाम करवाये या अपने द्वारा नामित एक या एक से अधिक मनोनीत व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम करवाये, इसमें प्रथम पक्षगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. यह कि दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से भूमि का विक्रय कराने की तिथि आज दिनांक 27-04-2023 से 45 दिन तक तय पायी गयी है, तथा आपसी सहमति से घटाई बढ़ाई जा सकती है।
4. यह कि निम्न वर्णित भूमि का खाली कब्जा बैनामा के समय द्वितीय पक्षगण को दिया जायेगा।



Suresh Kumar Talyal

M. D. J. Roy

5. यह कि अनुबन्धित भूमि के चारों दिशाओं में जो बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है, उसके सहित अनुबन्धित भूमि का सौदा प्रथम पक्षगण के साथ द्वितीय पक्षगण का तय पाया गया है, जिस पर रिक्त भूमि एवं बाउण्ड्रीवाल पर जो भी सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन आयेगा उस पर द्वितीय पक्षगण स्टाम्प शुल्क अदा करेंगे, तथा इसके अलावा बैनामा कराने में जो भी खर्चा आयेगा उसको द्वितीय पक्षगण स्वयं वहन करेंगे।
6. यह कि वर्णित भूमि की मौके पर पैमाईश की जायेगी तथा मौके पर नाप के अनुसार ही विक्रय मूल्य लिया व दिया जायेगा।
7. यह कि प्रथम पक्षगण द्वारा दिये गये भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजों के आधार पर यह अनुबंध पत्र तैयार किया गया है, तथा निम्न वर्णित भूमि से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज आदि बैनामें के समय द्वितीय पक्षगण को दिये जायेंगे, यदि बैनामें के समय दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्षगण की होगी।
8. यह कि इस अनुबंध पत्र का पालन दोनों पक्ष एवं उनके उत्तराधिकारी, वारिस करेंगे।

विवरण अनुबन्धित भूमि

आवासीय भूखण्ड जिसका नगर निगम सम्पत्ति सं 4/1/2 मालवीय रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून रकबा 840 वर्गफीट अर्थात् 93.33 वर्गगज अर्थात् 78.0669 वर्गमीटर जिसकी नाप सीमाएं निम्न प्रकार हैं :-

पूरब में	:	सम्पत्ति सुप्रीम हार्डवेयर, सीमा पर नाप 21 फीट
पश्चिम में	:	15 फीट चौड़ा रास्ता, सीमा पर नाप 21 फीट
उत्तर में	:	सम्पत्ति अन्य, सीमा पर नाप 40 फीट
दक्षिण में	:	भूमि अन्य, सीमा पर नाप 40 फीट

अतः यह अनुबंध पत्र अंकित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय अनुसार काम आवे। इति लिखित दिनांक 26-04-2023 स्थान देहरादून।



ह०/प्रथम पक्षगण

ह०/द्वितीय पक्षगण

गवाह 1 – श्री मदन गोपाल गोयल  
पुत्र स्व. श्री राम कुमार  
7/9 झण्डा बाजार, देहरादून  
Ad No. 8169 9491 8336

गवाह 2 –  
**ANOOP SINGH RAWAT**  
Advocate  
Reg. No.-UP-1766/2000  
UK-3399/2004

ATTESTED

MS/  
26/04/2023

S. S. TARIYAL  
Advocate & Notary  
Court Compound, Dehradun